


माननीय मुख्यमंत्री महोदय की राजस्थान वन नीति 2023 /TOFR ट्री आउट साईड फोरेस्ट स्कीम राजस्थान से संबंधित अपील का रंगीन विज्ञापन 9 अगस्त 2023 को 16X22 वर्ग से.मी रंगीन विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में राजस्थान संवाद के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। जिसके भुगतान हेतु बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 800- अन्य व्यय, 01-फार्म वन विद्या, 63-वृक्षारोपण में हेतु वर्ष 2023-24 में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	कुल आवंटन (रु.लाखों में)
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर	15.00
	योग:-	15.00

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-
बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।


(पी.के.उपाध्याय)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुखस/ 7280-86

दिनांक: 14/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर।
4. उप निदेशक (जनसम्पर्क) वन विभाग, अरण्य भवन जयपुर
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर